बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या – पी०आर० 64/2021

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2021 की उत्तरपुस्तिकाओं के स्क्रूटनी कराने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2021 में सम्मिलित परीक्षार्थियों का परीक्षाफल दिनांक 05.04.2021 को प्रकाशित किया गया है। यदि कोई छात्र/छात्रा अपने किसी एक विषय या सभी विषय के प्राप्तांक से असंतुष्ट हों, तो अपने उस विषय/विषयों की उत्तरपुस्तिका के स्क्रूटनी हेतु समिति के वेबसाईट **http://biharboardonline.bihar.gov.in** पर **दिनांक 11.04.2021 से 17.04.2021 तक की अवधि में रू0 70/– (सत्तर रूपये मात्र) प्रति विषय की दर से निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।**

2. ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की प्रक्रिया :–

(i) उत्तरपुस्तिका की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु समिति के वेबसाइट **http://biharboardonline.bihar.gov.in** अथवा **scrutiny.biharboardonline.com** पर "Apply for scrutiny (Annual Secondary Examination 2021)" लिंक पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर परीक्षार्थी द्वारा अपना रौल कोड, रौल नम्बर, नाम, जन्म तिथि, USER NAME एवं पासवर्ड अंकित कर रजिस्टर करेंगे। उदाहरण के लिए ROLL CODE-71001, ROLL NO-2100101, NAME-VIKASH KUMAR, D.O.B-11-04-2003, तथा USER NAME & PASSWORD (परीक्षार्थी द्वारा चयनित)। परीक्षार्थी भविष्य में उपयोग हेतु प्रयुक्त USER NAME एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखेंगे। रजिस्टर करने के उपरांत परीक्षार्थी का एक पुनरीक्षण (SCRUTINY) आवेदन हेतु पेज प्रदर्शित होगा।

(ii) USER NAME & PASSWORD का प्रयोग करते हुए LOG-IN के उपरान्त APPLY FOR SCRUTINY BUTTON पर CLICK करेंगे। इसके बाद परीक्षार्थी का सभी विषयों के साथ एक पेज खुलेगा तथा सभी विषय के सामने APPLY BUTTON अंकित होगा।

(iii) जिस विषय/विषयों में परीक्षार्थी को उत्तरपुस्तिका की स्क्रूटनी कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना हो, वे उस विषय/विषयों के सामने अंकित APPLY BUTTON को CLICK करके APPLY करेंगे।

(iv) तत्पश्चात् Fee Payment के लिए पेज पर उपलब्ध Fee payment button (Make Payment) को क्लिक करेंगे। निर्धारित स्क्रूटनी शुल्क की भुगतान हेतु राशि डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। परीक्षार्थी ऑनलाइन भुगतान के पश्चात् 24 घंटे के अन्दर अपने बैंक खाता से राशि की निकासी हुई है या नहीं, इसकी जाँच कर स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। खाता से राशि की निकासी के पश्चात् समिति के खाता में जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित आवेदन अपूर्ण मानते हुए स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. समिति विनियमावली में वर्णित प्राक्धान के अन्तर्गत स्क्रूटनी निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित होगी :–

- यदि उत्तरपुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों के अंक मुख पृष्ठ पर अंकित नहीं है, तो उसमें सुधार किया जायेगा।
- प्रदत्त अंकों के योग में यदि कोई त्रुटि हो, तो उसमें सुधार किया जायेगा।
- यदि कोई प्रश्न या उसके खण्ड के प्रश्नोत्तर अमूल्यांकित है, तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्तांक में सुधार किया जायेगा।
- स्क्रूटनी के परिणामस्वरूप अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या यथावत् रह सकते हैं।

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)